दिनांक 22-11-2019 को अपर मुख्य सचिव (ACS), जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के कार्यालय कक्ष में परियोजना प्रगति अनुश्रवण प्रणाली (PPMS) की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:–

(उपस्थिति: संलग्न)

PPMS के परामर्शी CyberSwift Infotech Pvt. Ltd. के प्रतिनिधि द्वारा विकसित किए जाने वाले समस्त Modules की अद्यतन स्थिति प्रतिवेदित करते हुए बताया गया कि दिनांक 27-11-2019 तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। परामर्शी द्वारा अभी तक यथावांछित सभी Modules विकसित नहीं करने के कारण ACS द्वारा कार्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया।

2. परामर्शी द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मॉड्यूल वार आंकड़ा प्रविष्टि नहीं किए जाने के कारण PPMS में Software का प्रदर्शन स्थापित नहीं हो पा रहा है।

यह भी व्यक्त किया गया कि Support Staff (श्री चंदन दास मो०–8585832633 तथा श्री प्रिंस रोशन मो०–7903454823) द्वारा क्षेत्रीय अभियंताओं से बार–बार अनुरोध किए जाने के पश्चात भी आंकड़ा प्रविष्टि का कार्य लंबित है।

उक्त के संबंध में निदेश दिया गया की Support Staff द्वारा Call Log संधारित करते हुए आँकड़ा प्रविष्टि से संबंधित दैनिक प्रगति प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाए एवं वैसे पदाधिकारी जिन्होंने स्मारित करने के बावजूद वांछित आँकड़े प्रविष्टि सुनिश्चित नहीं किए हैं, से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कर्तव्य के प्रति उदासीनता के कारण यथोचित कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापित की जाए।

(अनुपालन: परामर्शी CyberSwift Infotech Pvt. Ltd एवं वरीय अनुश्रवण पदाधिकारी)

3. यह भी निदेशित किया गया कि सभी सम्बद्ध से Module wise आँकड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी Module के लिए पृथक–पृथक Format तैयार किया जाए एवं उक्त Format में आँकड़े प्राप्त कर PPMS में उसकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाय।

इसके लिए परामर्शी आवश्यकतानुसार Man Power की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन: परामर्शी CyberSwift Infotech Pvt. Ltd)

4. ACS द्वारा बताया गया कि विभागीय दैनिक कार्यों के निष्पादन में PPMS का जितना उपयोग होगा, इसकी सुग्राह्यता उतनी बढ़ेगी।

उक्त के क्रम में PPMS का प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु ACS द्वारा अधोलिखित निदेश दिए गए।

4.1. PPMS को अपरिहार्य बनाने के उद्देश्य से यथासाध्य विभागीय कार्यों का निष्पादन PPMS के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन: समस्त पदाधिकारीगण)

4.2. उक्त के आलोक में प्रथम चरण में अधियाचना, आवंटन, योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा, तथ्यात्मक विवरणी का प्रेषण, भू–अधिग्रहण की समीक्षा एवं वन भूमि अपयोजन की समीक्षा सरीखे कार्यों का निष्पादन PPMS के माध्यम से किया जा सकता है

(अनुपालन: सभी सम्बद्ध पदाधिकारीगण)

4.3. विभागान्तर्गत सभी अनुश्रवण पदाधिकारीगण क्षेत्रीय कार्यालय से PPMS के माध्यम से ही यथासाध्य प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे

(अनुपालन: सभी वरीय अनुश्रवण पदाधिकारी)

4.4. यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि Court Case Management System (CCMS) का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु ACS द्वारा कतिपय निदेश दिए गए हैं।
तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराते हुए निदेशित किया गया कि PPMS के तहत Court Case Module को तदनुसार Customize किया जाए।

(अनुपालन: परामर्शी CyberSwift Infotech Pvt. Ltd)

4.5. विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निष्पादित कार्यों की सूची में से PPMS के माध्यम से संपन्न कराए जाने वाले कार्यों को चिन्हित करते हुए उसे PPMS के माध्यम से ही संपन्न कराया जाए।

(अनुपालन: सभी सम्बद्ध पदाधिकारी)

5. ACS द्वारा परामर्शी से Project Entry Module में परियोजनावार आरंभिक (मूल) लागत राशि दर्शाने को कहा गया परंतु इसका प्रावधान उक्त Module में नहीं रहने के कारण इसे दर्शाया नहीं जा सका।
उक्त के आलोक में निदेश दिया गया कि परियोजना से संबंधित समस्त आँकड़े समग्र रूप से दर्शाने हेतु Module को अविलंब Customize किया जाए।

(अनुपालन: परामर्शी CyberSwift Infotech Pvt. Ltd)

6. यह भी निदेशित किया गया कि विभागीय आवश्यकतानुसार PPMS App का नियमित Customization सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन: परामर्शी CyberSwift Infotech Pvt. Ltd)

7. ACS द्वारा PPMS App के Logo के संबंध में परामर्शी के प्रतिनिधि से पूर्व में चर्चा की गई थी, जिसके आलोक में उक्त Logo update करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन: परामर्शी CyberSwift Infotech Pvt. Ltd)

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

26.11.19

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 1083 /राँची ,दिनांक : 26/11/19

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख –1 एंव 2 / मुख्य अभियंता (मो०) / सभी मुख्य अभियंता (लघु सिचाई एवं यांत्रिक सहित) / सभी वरीय अनुश्रवण पदाधिकारी, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन ,जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ परामर्शी CyberSwift Infotech Pvt. Ltd को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.11.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव ।

Pratik

ज्ञापांक : 1083   /राँची, दिनांक : 26/11/19

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को वेबपोर्टल पर अपलोड करने हेतु सम्प्रेषित।

26.11.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव ।

I_PMC_828_2018